रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 1972/श्रावण 17, 1894

No. 8] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 1972/SRAVANA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th August 1972

S.R.O. 10-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), the Central Government hereby declares every service connected with the supply of Electricity in the State of Uttar Pradesh to be a service of vital importance to the community.

[F. No 2(25)/72/D(GS-I).]

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1972

का० नि० आ० 10(अ).—सशस्त्र बल (आपात काल ड्यूटी) अधिनियम, 1947 (1947 का 15) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विद्युत के प्रदाय से संबंधित प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिये अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० 2(25)/72/डी (जी० एस०-I)]

S.R.O. 11-E.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Indian Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose the restrictions specified in clause (b) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the District of MEERUT, in the State of UTTAR PRADESH, and described in the Schedule annexed hereto, being land in the vicinity of Army Headquarters Transmitter Station, MEERUT Cantt, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Collector, MEERUT.

THE SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 914.4 metres (1000 yards) around the outer perimeter of the Army Headquarters Transmitter Station in MEERUT Cantt., in the district of MEERUT, in the State of UTTAR Pradesh.

[F. No. 71373/8/GS/MO2.]

P. KRISHNAMURTI Jt. Secy.

का० नि० आ० 11(अ).—भारतीय रक्षा सकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है, कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन, उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में स्थित और इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि के उपयोग और उपभोग पर अधिरोपित करना आवश्यक हैं ताकि ऐसी भूमि, सेना मुख्यालय ट्रांसमीटर स्टेशन, मेरठ छावनी के सामीप्य होने से भवनों और अन्य बाधाओं से मुक्त रखी जाय।

2. उक्त भूमि के रेखामानचित्र (स्कैच प्लान) का निरीक्षण, कलैक्टर, मेरठ के कार्यालय में किया जा सकेगा।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में, मेरठ छावनी में, सेना मुख्यालय ट्रान्समीटर स्टेशन की बाहर की परिधि के चारों ओर 914.4 मीटर (1000 गज) अन्तर के भीतर के क्षेत्र में आने वाली सभी भूमि।

[फा० सं० 71373/8/जी० एस०/एमओ 2]

पी० कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972